

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 140] नई दिल्ली शुक्रवार, मार्च 30, 1979/चैत्र 9, 1901
No. 140] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 30, 1979/CHAITRA 9, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आवेष

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1979

का. आ. 170 (अ)/18ए/आई.डी.आर.ए./79—केंद्रीय सरकार का अपने कब्जे में
के दस्तावेजी साक्ष्य से यह समाधान हो गया है कि मैसर्स महादेव टैक्सटाइल मिल्स,
हुबली, करनाटक नामक औद्योगिक उपक्रम (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक
उपक्रम कहा गया है) कम से कम तीन मास की अवधि के लिए बन्द कर दी गई है,
और ऐसे बन्द कर दिए जाने से सम्बन्धित अनुसूचित उद्योग पर, अर्थात्, सूती वस्त्र
उद्योग पर, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उक्त औद्योगिक उपक्रम पर स्थामित्व रखने
वाली कम्पनी की वित्तीय क्षा तथा ऐसे उपक्रम के संयंत्र तथा मशीनरी की क्षा ऐसी है
कि उपक्रम त्रिं फिर चालू करना संभव है और इस प्रकार पुनः चालू करना जन साधारण के
हित में है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) को, उक्त सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्ध को निम्नलिखित शर्त एवं निबन्धन के अधीन रखते हुए, हाथ में लेने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्, प्राधिकृत व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निर्देशों का अनुपालन करेगा।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होकर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

[फा. सं. 3/29/77-सी एस एम]

आर. रामकृष्ण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 30th March, 1979

S.O. 170(E)/18AA/IDRA/79.—Whereas the Central Government is satisfied from the documentary evidence in its possession that the industrial undertaking known as Messrs. Mahadeva Textile Mills Hubli, Karnataka (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been closed for a period of not less than three months and that such closure is prejudicial to the concerned scheduled industry, namely, cotton textile industry and that the financial condition of the company owning the said industrial undertaking and the condition of the plant and machinery of the said industrial undertaking are such that it is possible to restart the said industrial undertaking and such restarting is necessary in the interests of the general public ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby authorises the Government of Karnataka (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the said industrial undertaking, subject to the following term and condition namely that the authorised person shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 3/29/77-CSM]

R. RAMAKRISHNA, Joint Secy.